प्रकाशनार्थ अनुमोदित

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 705/2001

कोरम: माननीय श्री एस.आर. नायक, मुख्य न्यायमूर्ति और माननीय श्री डी.आर. देशमुख, न्यायमूर्ति

याचिकाकर्ता : छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, डी.के. भवन, रायपुर

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादी : 1. जयंत कुमार दफ्तरी, पिता श्री जगदीश दफ्तरी ,उम्रः– 51 वर्ष, पूर्व सहायक बिक्री कर अधिकारी (वाणिज्यिक कर अधिकारी), एचआईजी–सी/56, शैलेंद्र नगर, रायपुर।

2. मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, द्वारा रजिस्ट्रार।

श्री उत्कर्ष वर्मा, याचिकाकर्ता/राज्य के लिए उप शासकीय अधिवक्ता।

श्री आशीष श्रीवास्तव, उत्तरवादी क्रमांक 1 के लिए अधिवक्ता।

मौखिक आदेश

(14.2.2006 को पारित)

न्यायालय द्वारा दिया गया निम्नलिखित मौखिक आदेश श्री एस.आर. नायक, मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा पारित किया गया था:

प्रथम उत्तरवादी ने सहायक बिक्री कर अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए (बाद में मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 के तहत वाणिज्यिक कर अधिकारी के रूप में नामित) 20 वर्ष की अर्हतादायी सेवा पूरी करने पर दिनांक 1/4/1995 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगी थी, जैसा कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 (संक्षेप में नियम) के नियम 42 में प्रावधान है। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद, उनके पेंशन संबंधी दावों का विभाग द्वारा निपटारा नहीं किया गया। विभाग ने प्रथम उत्तरवादी को देय पेंशन लाभों को इस आधार पर रोक दिया कि उनके खिलाफ विभागीय जांच लंबित है; उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपराध दर्ज किया गया है और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत उनकी सेवानिवृत्ति भी अनियमित थी।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

2. विभाग के कार्यवाही से आहत होकर, प्रथम उत्तरवादी ने रायपुर में म.प्र. राज्य प्रशासनिक अधिकरण (संक्षेप में "अधिकरण") के समक्ष ओ.ए.क्र.. 84/2000 दायर किया। अधिकरण ने यह राय दी कि प्रथम उत्तरवादी के पेंशन लाभों को रोकने का कोई औचित्य नहीं था, और दिनांक 19.1.2001 के अपने आदेश द्वारा प्रथम उत्तरवादी द्वारा दायर ओ.ए. स्वीकार कर लिया और यह माना कि प्रथम उत्तरवादी सभी पेंशन लाभों पर ब्याज का हकदार है, सिवाय भविष्य निधि की राशि को छोड़कर, जो कि सेवानिवृत्ति के दो महीने बाद से भुगतान की तिथि तक 6% वार्षिक दर से देय है। इस स्तर पर ही, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब अधिकरण ने आक्षेपित आदेश पारित किया, तब प्रथम उत्तरवादी के विरुद्ध शुरू की गई कार्यवाही समाप्त हो गई थी और इस निष्कर्ष पर, ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग ने प्रथम उत्तरवादी को सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान कर दिया था। परिस्थितियों में, अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत एकमात्र तर्क यह था कि प्रथम उत्तरवादी को सेवानिवृत्ति लाभों के विलंबित भुगतान पर ब्याज का हकदार है। अधिकरण द्वारा यह आदेश इसी प्रकार पारित किया गया था।

3. छत्तीसगढ़ राज्य, हालांकि, उपरोक्त अधिकरण के दिनांक 19.1.2001 के आदेश से आहत होकर, यह रिट याचिका दायर कर रहा है।

4. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता की बात सुनी है। शासकीय अधिवक्ता यह तर्क किया कि जिस दिन प्रथम उत्तरवादी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत 1.4.95 से सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी गई थी, उस दिन उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही और अन्य कार्यवाही लंबित थीं और इसलिए, विभाग नियम 9 के तहत पेंशन लाभों को रोकने में पूरी तरह से उचित था और मामले के इस दृष्टिकोण से भी, उस अवधि के दौरान पेंशन को रोकने के लिए विभाग पात्र था जिसके लिए अधिकरण को ब्याज देने का कोई औचित्य नहीं है। दूसरे शब्दों में, विद्वान शासकीय अधिवक्ता का तर्क यह है कि यदि नियम 9 के प्रावधानों के आधार पर विभाग प्रथम उत्तरवादी को देय पेंशन लाभों को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए रोक सकता है, तो अधिकरण या न्यायालय उस अवधि के लिए भी ब्याज का भुगतान करने का निर्देश नहीं दे सकता है जिसके दौरान विभाग ने वैध रूप से और कानून के अनुसार भुगतान को रोक दिया था।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, हमें विद्वान शासकीय अधिवक्ता की तर्क में पर्याप्त बल मिलता है। पक्षों के बीच इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि जब प्रथम उत्तरवादी को 1.4.95 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी गई थी, ऊपर उल्लिखित विभागीय कार्यवाही और अन्य कार्यवाही लंबित थीं।

6. नियम 9 के उप–नियम (1) और (2) इस प्रकार हैं:

"9. पेन्शन को रोकने अथवा वापस लेने का राज्यपाल का अधिकार–

(1) पेन्शन द्वारा उसकी सेवा के दौरान जिसमें सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनर्नियुक्ति पर की गई सेवा भी शामिल है, विभागीय अथवा न्यायालयीन कार्यवाही में जिसमें यह पाया जाय कि पेन्शनर गम्भीर दुराचरण अथवा लापरवाही का दोषी है, शासन को पहुँचाई

गई धन सम्बन्धी हानि, यदि कोई हो, के लिए स्थायी रूप से अथवा किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिये, पेन्शन अथवा उसके किसी अंश को रोकने के लिये पेन्शन वापस लेने और पूर्ण आदेश पारित करने के लिये राज्यपाल स्वंय के अधिकार सुरक्षित रखते हैं :

परन्तु अन्तिम आदेश पारित करने के पूर्व राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा:

[परन्तु आगे यह भी कि जहां पेंशन का कोई अंश रोका अथवा वापस लिया जाता है तो ऐसी धनराशि न्यूनतम पेंशन जैसा कि समय–समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जावे, से कम नहीं होगी।]

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) (क) विभागीय कार्यवाहियां [xxx], यदि शासकीय सेवक के सेवा में रहते हुए चाहे सेवानिवृत्ति के पूर्व अथवा उसकी पुनर्नियुक्ति के दौरान संस्थित की गई हों तो इस नियम के अधीन शासकीय सेवक के सेवानिवृत्ति के पश्चात् भी कार्यवाहियां चालू मानी जावेगी और वे जिस प्राधिकारी द्वारा प्रारम्भ की गई थीं उसी के द्वारा और उसी प्रकार से जैसा कि शासकीय सेवक सेवा में रहता; चालू रहेंगी और निर्णीत की जावेंगी:

परन्तु यह कि जहां विभागीय कार्यवाहियां राज्यपाल के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा संस्थित की गई हैं तो वह प्राधिकारी उसके निष्कर्षों को अंकित कर राज्यपाल को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा ।

(ख) विभागीय कार्यवाहियां, जब शासकीय सेवक सेवा में था, चाहे उसकी सेवानिवृत्ति के पहले या उसकी पुनर्नियुक्ति के दौरान, संस्थित की गई तो–

(i) राज्यपाल की मंजूरी के बिना संस्थित नहीं की जाएंगी;

(ii) ऐसे संस्थापन के पूर्व चार वर्ष के पहिले घटित किसी घटना के बारे में नहीं होंगी; तथा

(iii) विभागीय कार्यवाहियों को लागू प्रक्रिया के अनुसार ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसे स्थान पर संचालित की जावेंगी जैसा शासन निदेशित करे –

(क) जिसमें शासकीय सेवक को उसकी सेवा के दौरान उसे सेवा से पदच्युत करने का आदेश दिया जा सकता है, उस मामले में जब पेंशन अथवा उसके भाग को चाहे स्थायी रूप से या निर्दिष्ट कालावधि के लिये रोकना अथवा वापस लेना प्रस्तावित था; अथवा

(ख) जिसमें यदि उसकी पेंशन से शासन को पहुंचाई गई आर्थिक हानि की पूर्ण अथवा भाग की वसूली का आदेश प्रस्तावित किया गया था शासकीय सेवक को उसकी सेवा के संबंध में उसकी लापरवाही अथवा आदेश भंग के कारण हुई आर्थिक हानि की पूर्ण अथवा भाग को उसके वेतन से वसूल करने का आदेश किया जा सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उप–नियम (1) और (2), यदि एक साथ पढ़े जाएँ, तो यह बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि विभाग पेंशन लाभों को प्रथम उत्तरवादी से विभागीय कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान रोकने में उचित था, बेशक, उप–नियम (4) में शामिल शर्त के अधीन। हमारे ध्यान में यह बात लाई गई कि प्रथम उत्तरवादी के विरुद्ध शुरू की गई विभागीय कार्यवाहियाँ अंततः 10% पेंशन 10 वर्षों के लिए कटौती के शास्ति के रूप में समाप्त हुईं, जो एक अनुशासनात्मक उपाय था। इस कोण से देखने पर भी, प्रथम उत्तरवादी पूरी अवधि के लिए ब्याज का दावा नहीं कर सकती है।

7. परिणामस्वरूप और पूर्वोक्त कारणों से, न्यायाधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में संशोधन करते हुए, हम निर्देश देते हैं कि प्रथम उत्तरवादी उस अवधि के लिए 6% वार्षिक ब्याज का हकदार नहीं है जिसके दौरान नियमों के उप–नियम (1) और उप–नियम (2) के अनुसार

विभाग ने वैध रूप से पेंशन रोक रखी थी, हालाँकि, नियम 9 के उप–नियम (4) में निहित प्रावधान के अधीन रिट याचिका उपरोक्त सीमा तक स्वीकार की जाती है।

8. इस मामले को समाप्त करने से पहले, प्रथम उत्तरवादी के अधिवक्ता द्वारा व्यक्त आशंका को दूर करने के लिए, हम कहेंगे कि हमारे द्वारा इस आदेश में की गई टिप्पणियों का प्रथम उत्तरवादी द्वारा शास्ति आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में दायर लंबित रिट याचिका के निर्णय को किसी भी प्रकार से प्रभावित नही करना चाहिए ,जो की बताया गया है कि इस न्यायालय के समक्ष न्यायनिर्णयन हेतु लंबित हैं।

सही/–
मुख्य न्यायमूर्ति

सही/–
दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायमूर्ति

___00___

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Adv. Shruti Navratna